संख्याः2387/ई–1/तेरह–2020–18/17(टी.सी.)

प्रेषक,

**संजय आर. भूसरेड्डी,**
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

**आबकारी अनुभाग–1** **लखनऊः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2020**

विषयः–आबकारी विभाग में पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. तेल, ग्रीस आदि का क्रय इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के कार्ड द्वारा किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आबकारी विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में सरकारी वाहनों एवं कार्यालयों के उपयोगार्थ पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. तेल, ग्रीस आदि का क्रय इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के XTRA POWER FLEET CARD PROGRAMME के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में सुश्री मोनिका, असिस्टेंट मैनेजर (फ्लीट मार्केटिंग), मार्केटिंग डिवीजन, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि., मण्डलीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्याः आई.ओ.सी.एल./फ्लीट कार्ड/लखनऊ हब दिनांक 13–05–2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में सरकारी वाहनों एवं कार्यालयों के उपयोगार्थ पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. तेल, ग्रीस आदि का क्रय इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के XTRA POWER FLEET CARD PROGRAMME के अन्तर्गत ही इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के रिटेल प्वाइन्ट्स से कराया जाय। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3. XTRA POWER FLEET CARD बनाये जाने के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी हेतु सुश्री मोनिका, असिस्टेंट मैनेजर (फ्लीट मार्केटिंग) मार्केटिंग डिवीजन, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि., से यथावश्यकता सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

**(संजय आर. भूसरेड्डी)**
अपर मुख्य सचिव

**संख्याः** 2307 **(1)/ई–1/तेरह–2020, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सुश्री मोनिका, असिस्टेंट मैनेजर (फ्लीट मार्केटिंग) मार्केटिंग डिवीजन इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि., सेक्टर–एफ. कपूरथला काम्पेक्स अलीगंज लखनऊ–226024।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(उमेश कुमार तिवारी)**
उप सचिव